भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3757

उत्तर देने की तारीख : 12.08.2025

महाराष्ट्र में पीएम-अजय के अंतर्गत निधि

3757. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) स्कीम के आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को कोई निधि जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, जबकि देश भर में सृजित 3495 ग्राम विकास योजनाओं में से 66 ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) महाराष्ट्र से ही हैं;

(ग) क्या सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएम-अजय के छात्रावास घटक के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पीएम-अजय योजना के दोनों घटकों में समय पर निधि जारी करने और महाराष्ट्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): पीएम-अजय योजना के दिशानिर्देशों और व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार, आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तभी जारी की जाती है जब उनके एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में कोई अप्रयुक्त राशि न हो और पहले जारी की गई राशि के सभी उपयोग प्रमाण पत्र जमा कर दिए गए हों। चूंकि महाराष्ट्र राज्य के पास अप्रयुक्त शेष राशि थी, इसलिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की जा सकी।

वर्ष 2018-19 से, महाराष्ट्र राज्य सरकार को वीडीपी तैयार करने और कमियों को दूर करने वाले कार्यों के कार्यान्वयन के लिए 51.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। चयनित 515

515 गांवों में से, 345 ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार की जा चुकी हैं और 267 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है।

(ग) और (घ): पीएम-अजय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रावास घटक के अंतर्गत प्रस्ताव को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा समर्पित पीएम-अजय पोर्टल पर विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ): राज्यों को समय पर निधियां जारी करने के लिए, सरकार ने एक नया निधि प्रवाह तंत्र, अर्थात् एसएनए स्पर्श (समय पर धनराशि जारी करना) शुरू किया है, जो अप्रयुक्त पड़ी धन राशि के कारण निधियां जारी न होने की समस्या का समाधान करता है।

पीएम-अजय योजना के दोनों घटकों में महाराष्ट्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से राष्ट्रीय सम्मेलन/चिंतन शिविर और क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मासिक समीक्षा की जाती है, जिसके साथ नियमित रूप से राज्यवार निष्पादन की निगरानी भी की जाती है। इसके अलावा, केंद्र, राज्य, जिला और ज़िला स्तर पर समितियों द्वारा निगरानी से योजना की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है।

*****